20/5/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 16/6/25 को पेश हो।

आदेशार्थ रीडर

16/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 3/7/25 को पेश हो।

आज्ञार्थ रीडर

3/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी- प्रतिवादी अधि उप.) संशोधित उनवान पेश नहीं। पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान हेतु दिनांक 9/7/25 को पेश हो।

3/7/25

9/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को मध्याह्न में पुनः एक बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM हो चुका है। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम पैरवी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सर इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

9/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. हीरालाल पिता सोला जाति बोला उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
—वादी

बनाम

1. प्रभु पिता सोला जाति बोला उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कंवरलाल पिता हमीरा बलाई उम्र वयस्क निवासी मार्फत राकेश जी सिंघवी उपाध्याय का मोहल्ला सिंघवी भवर पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. लादूलाल पिता नारायण जी सालवी उम्र वयस्क निवासी मार्फत अशोक हिंगड़ कांचीपूरम भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 18/2015 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा अनुपस्थित – इस वाद में आज तारीख 09.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

9/7/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा